कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक / एफ–4 / 2015 / 10–11 / 2560 भोपाल, दिनांक 31-8-17

प्रति,

अधीक्षण अभियंता,
म0प्र0 पू.क्षे.वि.वि.कम्पनी लिमिटेड सागर,
मध्यप्रदेश।

विषयः–सागर जिले के अंतर्गत 33 के.व्ही. गौरझामर से देवरी विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु रकबा 2.070 हेक्टेयर वन भूमि आवेदक संस्थान को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPB 011/2016-BHO/196, दिनांक 19.04.2017

–0–

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक 6-MPB 011/2016-BHO/196, दिनांक 19.04.2017 से प्रस्तावित पारेषण पथ का तीनों विकल्पों का के0एम0एल0 फाईल चाही गई है, जिसमें विद्युत उत्पादन स्थल से विद्युत वितरण स्थल का स्पष्ट उल्लेख हो।

जिसके संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 1157, दिनांक 01.05.2017 से मुख्य वन संरक्षक, सागर एवं आपको भी अवगत कराया गया। तत्पश्चात उक्त जानकारी प्रेषित करने हेतु इस कार्यालय द्वारा दूरभाष भी उक्त जानकारी बनाने हेतु समझाइश दी गई, किन्तु उक्त जानकारी आज दिनांक तक आपके द्वारा प्रेषित नहीं की गई है।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के कंडिका 4.14 (i) में स्पष्ट निर्देश है कि उक्त जानकारी यदि 90 दिवस में प्राप्त नहीं होती है तो निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी। अतः भारत सरकार के चाहे अनुसार जानकारी 03 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करे अन्यथा प्रस्ताव निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

31/8/17

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–4 / 2015 / 10–11 / 2561 भोपाल, दिनांक 31-8-17

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
2. वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

31/8/17

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\Old Section F-4.docx